

प्रेस नोट

जनपद रामपुर

दिनांक-05.03.2023

कोतवाली -पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर भाड़े के हत्यारो से करायी अपने पति विधुत कर्मी की हत्या, पत्नी व प्रेमी सहित तीन अभियुक्त गिरफ्तार , निशानदेही पर मृतक राजीव का शव बरामद दिनांक 27.02.23 को राजीव कुमार पुत्र रत्नलाल निवासी नाहिद सिनेमा के पास बिजलीघर थाना कोतवाली रामपुर जो विद्युत विभाग में लाईन कुली के पद पर ग्राम खौद थाना अजीमनगर में नियुक्त था के अचानक घर से गुम हो जाने के सम्बन्ध में उसकी पत्नी श्रीमति सीमा पत्नी राजीव कुमार द्वारा थाने पर आकर दिनांक 28.02.23 को गुमशुदगी दर्ज करायी गयी । जिसकी जांच के दौरान श्रीमति सीमा पर संदेह होने पर उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि मैं आर्टीफिशियल ज्वैलरी बनाने का काम करती हूं वही मेरे साथ राहुल पुत्र भूकनलाल निवासी इन्द्रा कालौनी नाहिद सिनेमा के पास थाना कोतवाली रामपुर (तहेरा देवर) भी आर्टीफिशियल ज्वैलरी बनाने का काम करता है । हम दोनो एक दूसरे से प्यार करने लगे जो पिछले डेढ वर्ष से चल रहा था । चूँकि, मेरा पति शराब पीने तथा जुआ खेलने का आदि था जिसपर काफी लोगो का 30-40 लाख रूपये का कर्जा हो गया था तथा मेरे साथ मारपीट कर परेशान करता था । तो मैंने राहुल से कहा कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाय तो राहुल ने बताया कि इसको रास्ते हाटा देते है इसकी नौकरी आपको मिल जायेगी तथा बाद में हम दोनो शादी कर साथ रहने लगेंगे । इसी पर दोनो के द्वारा योजना बद्ध तरीके से एक लाख साठ हजार रुपये में अपने पति की हत्या की सुपारी अपने प्रेमी राहुल के माध्यम से भाड़े के हत्यारे अरुण पुत्र देवेन्द्र ,रवि पुत्र खानचन्द, सतीश पुत्र कन्हईलाल निवासी गण अहमदाबाद थाना शहजादनगर को दे दी । तथा साठ हजार रुपये भी दे दिये शेष रुपये काम होने के बाद देना तय हुआ ।योजना के अनुसार दिनांक 27.02.23 को ही राहुल द्वारा अपनी स्कूटी से उधार के पैसे दिलवाने व शराब पिलाने के बहाने राजीव को स्कूटी पर बैठाकर जंगल ग्राम अहमदाबाद / धमौरा में पहुँचा दिया जहाँ पर उसकी भाड़े के हत्यारे अरुण, रवि व सतीश द्वारा राजीव का गला घोटकर हत्या कर उसकी लाश को वही गड्ढे में डालकर उपर से झाडिया डाल कर छुपा दिया वापस आकर मुझे सारी राहुल ने काम तमाम करने की सारी बात बतायी तथा दिनांक 28.02.23 को सीमा द्वारा थाने पर आकर राजीव के गुम होने की गुमशुदगी थाना कोतवाली पर दर्ज करा दी गयी । ताकि, उस पर कोई संदेह न करे । दिनांक 04/05.03.23 की रात्री में मुखबिर की सूचना के आधार पर अभियुक्त राहुल व सतीश पुत्र कन्हईलाल को गिरफ्तार कर उनकी निशादेही पर धमौरा व अहमदाबाद थाना शहजानगर क्षेत्र के जंगल में झाडियों से मृतक राजीव के शव को बरामद किया गया तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी जिससे मृतक को अभि0 राहुल द्वारा ले जाया गया था को भी बरामद किया गया तथा अभियुक्ता श्रीमती सीमा को भी उसके घर से गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में थाने पर मृतक के भाई वादी श्री चन्द्रपाल सिंह पुत्र रतनलाल नि0 आगापुर अशोक विहार कालौनी थाना सिविल लाईन जनपद रामपुर की तहरीर पर मु0अ0स037/23 धारा-302/201/120बी/34 भादवी पंजीकृत किया गया है । अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है । शेष फरार अभियुक्त की तलाश की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्ता सीमा पत्नी स्व0 राजीव कुमार निवासी नाहिद सिनेमा के पास बिजली घर के पीछे थाना कोतवाली जनपद रामपुर उम्र 25 वर्ष ।
2. अभियुक्त राहुल पुत्र भूकनलाल निवासी इन्द्रा कालोनी माला टाकीज के पास थाना कोतवाली रामपुर उम्र 23 वर्ष ।
3. अभियुक्त सतीश पुत्र कन्हईलाल निवासी अहमदाबाद थाना शहजादनगर जनपद रामपुर उम्र 21 वर्ष ।  
फरार अभियुक्त –
  1. अरुण पुत्र देवेन्द्र निवासी अहमदाबाद थाना शहजादनगर जनपद रामपुर
  2. रवि पुत्र खानचन्द निवासी अहमदाबाद थाना शहजादनगर जनपद रामपुर

बरामदगी-

1. अभियुक्तगण की निशानदेही पर मृतक राजीव कुमार उपरोक्त का शव जंगल ग्राम अहमदाबाद / धमौरा ।

2. मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त स्कूटी स0- यूपी 22 ए0ई0 4373 रंग सिल्वर (सूजुकी) गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक गजेन्द्र त्यागी
2. निरीक्षक श्री संजय कुमार
3. उ0नि0 श्री राजेश कुमार
4. उ0नि0 श्री कमलेन्द्र सिंह
5. म0उ0नि0 दीपा चौहान
6. हे0का0 522 नरेन्द्र सिंह
7. हे0का0 716 मनित चौधरी
8. हे0का0 384 अंकित चौधरी
9. हे0का0 786 कमर आलम
10. का0 561 नफीस अहमद

थाना बिलासपुर:- 50 ली0 नाजायज अपमिश्रित शराब की बरामदगी, पुलिस टीम पर हमला करने, कार सरकार में बाधा डालने का अभि0 गिरफ्तार

थाना बिलासपुर रामपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 05.03.2023 को 01 नफर अभि0 गुरमुख सिंह पुत्र मकखन सिंह निवासी कृष्णानगर मानपुर ओझा थाना बिलासपुर रामपुर सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 68/2023 धारा 60,62 आबकारी अधि0 व 272,273,323,332,353,504,307,506,186 भादवि को जंगल ग्राम बिढवा नगला से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गुरमुख सिंह पुत्र मकखन सिंह निवासी कृष्णानगर मानपुर ओझा थाना बिलासपुर रामपुर फरार अभि0गण-

1- सुखदेव पुत्र नामालूम

2- बिट्टू पुत्र नामालूम नि0 कृष्णानगर मानपुर ओझा थाना बिलासपुर जनपद रामपुर आपराधिक इतिहास-

मु0 अ0 सं0 68/2023 धारा 60,62 आबकारी अधि0 व 272,273,323,332,353,504,307,506,186 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

श्री आनन्दवीर सिंह

का0 53 कुलजीत सिंह

का0 787 सोहित कुमार

का0 1847 अमित कुमार

थाना मिलक:-थाना मिलक पुलिस द्वारा 01अभि0 नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार ।

आज दिनांक 05.03.2023 को थाना मिलक पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुरेश नाथ गोस्वामी पुत्र अनोखे नाथ गोस्वामी नि0 मौ0 अस्दुल्लापुर कस्बा व थाना मिलक जिला रामपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 34/2023 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट को रेलवे लाईन पार पटवाई रोड से गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

सुरेश नाथ गोस्वामी पुत्र अनोखे नाथ गोस्वामी नि0 मौ0 अस्दुल्लापुर कस्बा व थाना मिलक जिला रामपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1.उ०नि० श्री सुरेश चन्द

2.का० 698 सिद्धान्त भूल्लर